

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक 2095 /विधि/प्रनिबो/2016


भोपाल, दिनांक 05 DEC 2016

-:: कार्यालय आदेश ::-

वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न सामग्रियों के कय में ई-पेमेंट व्यवस्था को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं । इसी अनुक्रम में बोर्ड द्वारा दैनिकिनी रूप से कय की जाने वाली सामग्री हेतु दिया गया अस्थाई/स्थाई अग्रिम संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में ई-पेमेंट से जमा किया जाये ।

संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई उक्त राशि में से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी जिसके द्वारा उक्त सामग्री का कय किया जाता है, उनके द्वारा यथा समभव सामग्री का कय ऐसे संस्थानों से किया जाये जहां ई-पेमेंट की सुविधा हो तथा संबंधित कर्मचारी द्वारा सामग्री के मूल्य का भुगतान विभिन्न ऑन लाईन भुगतान (क्रेडिंग कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-पेमेंट, पेटीएम आदि) माध्यमों से ऑन लाईन किया जाये । इसी प्रकार विभिन्न वाहनों के वाहन चालकों द्वारा वाहनों में डलवाये जाने वाले पेट्रोल/डीजल/ऑयल आदि का भुगतान भी इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट माध्यमों से किया जाये ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ।


(सुधीर श्रीवास्तव)
प्रशासकीय अधिकारी

पृ.क्र. 2096 /विधि/प्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक 05 DEC 2016

प्रतिलिपि :-

- 1 वित्त अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 2 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृपया आप भी अपने कार्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने का कष्ट करें ।
- ✓ 3 समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 4 आर्डर बुक, आईटी शाखा, गार्ड फाईल